पंजीकृत

प्रेषक,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

सेवा में,

सहायक निदेशक/आहरण वितरण अधिकारी,
डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड,
पिथौरागढ़।

पत्रांक —— /0202/गंगा गाय/बजट आवं0 पत्रा0/2024–25 दिनांक 12 मार्च, 2025

विषय— वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–28 अन्तर्गत गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना सम्बद्ध एन0सी0डी0सी0 योजना में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या– **50/XV-2/2025-01(09)/2023** दिनांक 11 मार्च, 2025 के द्वारा **वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–28** के अन्तर्गत गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना सम्बद्ध एन0सी0डी0सी0 योजना में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष सम्पर्क कार्यालय, सम्पर्क कार्यालय, डेरी विकास विभाग, देहरादून के पत्र संख्या–I/58070/2025/नियो0–गं0गा0म0यो0/NCDC पत्रा0 (ई–17168) दिनांक 12.03..2025 द्वारा उपलब्ध फॉट के आधार पर **जनपद पिथौरागढ़** को **रू0 12,54,000 (रू0 बारह लाख चौवन हजार मात्र)** शासनादेश में निहित शर्तो/प्रतिबन्धों के आधीन आवंटित किया जाता है। **धनराशि का उपयोग/व्यय मदवार संलग्न जनपदवार आवंटन (लक्ष्य एवं धनराशि) तालिका के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित करें।**

1. स्वीकृत धनराशि से योजनान्तर्गत लाभ केवल एस.ई.सी.सी. सदस्यों के लिये नही बल्कि दुग्ध सहकारी समितियों की महिला सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए समितियों के सभी सदस्यों को सहायता उपलब्ध कराई जाय।
2. वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–201358/09/(150)2019(150)XXVII(1) 2024/दिनांक 22 मार्च, 2024 द्वारा दिये गये दिशा– निर्देशों को पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय, साथ ही इस धनराशि का एकमुस्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाय।
4. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों के अन्तर्गत किया जाय।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय, जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो संबंधित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।
6. बजट मैनुवल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 03 ता0 तक प्रपत्र बी0एम0 04 पर सूचना निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
7. कोषागार में बीजक प्रस्तुत करते समय अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक का सही रूप से अंकन करना सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः–2

8. धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
9. आवंटित की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा लाभार्थियों की सूची सहित निदेशालय/सम्पर्क कार्यालय, डेरी विकास, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
10. अधिप्राप्ति नियमावली–2017 एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
11. योजनान्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदित दिशा–निर्देशों एवं वित्त विभाग के समस्त नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का ब्यय किया जाय।साथ ही अवमुक्त धनराशि के ब्यय का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।
12. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस प्रयोजन हेतु धनराशि दी जा रही है, उसी प्रयोजन हेतु उसका व्यय किया तथा किसी भी स्थिति में धनराशि का अन्यथा उपयोग न हो।
13. **किसी भी दशा में शासन से अनुमति प्राप्त किये बिना धनराशि का आहरण पार्किंग ऑफ फण्ड हेतु अथवा पी0एल0ए/अन्य विभागीय खातों में रखे जाने हेतु न किया जाय। आवंटित धनराशि का उपयोग नियमानुसार 31 मार्च, 2025 से पूर्व शतप्रतिशत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।**

उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या– 28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2404–डेरी विकास,–00–,102–डेरी विकास परियोजनायें,–12–गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना –00,–50– सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक : बजट आई डी एवं आवंटित लक्ष्य तालिका

भवदीय,

Signed by
Navin Chandra Bahuguna
Date: 12-03-2025 13:59:56

(नवीन चन्द्र बहुगुणा)
वित्त अधिकारी

पृ0सं0 5079-83/तद दिनांकित
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार भवन उत्तराखण्ड ,कौलागढ़,देहरादून।
2. सचिव डेरी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी , पिथौरागढ़।
4. प्रबंधक/प्रधान प्रबंधक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पिथौरागढ़।

(नवीन चन्द्र बहुगुणा)
वित्त अधिकारी

BA/1/2024-DAIRY DEVELOPMENT DIRECTORATE-DEPT-DAIRY

Print Date:-12/Mar/2025 10:54 AM

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Naveen Chandra Bahuguna
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 12-03-2025 10:54:28

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Head of Department : Director Dairy Developmment (2353)
Treasury-Pithoragarh(3800)
DDO-Assistant Director Dairy DevelopmentPithoragarh(2353)

आवंटन आई डी - H25030280056

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन पत्र दिनांक - 12-MAR-2025

अनुदान संख्या - 028

लेखा शीर्षक -

2404	डेयरी विकास		00	-
102	डेरी विकास परियोजनाएं		12	गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना
00	-			

Voted

2	4	0	4	0	0	1	0	2	1	2	0	0

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	50-सब्सिडी	1168000	1254000	1168000	2422000
	योग	1168000	1254000	1168000	2422000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 12,54,000 (Rupees Twelve Lacs Fifty Four Thousand Only)

Batch ID : DIS:2353:2353:2503:0031

Approval Status : e-Sign letter